बिहार विधान परिषद

(204 मॉनसून सत्र)

12 जुलाई 2023

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 27

जमीन का आवंटन

***40 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार (माननीय मंत्री) ने 11.04.2023 को घोषणा की है कि 24 हजार भूमिहीनों को साल के अंत तक आवास के लिए जमीन मुहैया करा दी जायेगी;

(ख) क्या यह सही है कि लाभुकों को दी जानेवाली जमीन पर अतिक्रमण तथा सरकार द्वारा भूमिहीनों को दी गई जमीन पर अवैध कब्जा आदि बड़ी संख्या में प्रतिवेदित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदन को बतलाएगी कि राज्य में कुल कितने भूमिहीन हैं, उनमें कितनों को अबतक सरकार ने जमीन आवंटित कर कब्जा दिलाया है तथा शेष सभी भूमिहीनों को कबतक सरकार जमीन आवंटित कर देगी, यदि नहीं तो समस्या के स्थाई समाधान के बजाय ऐसे लोक लुभावन और भ्रामक घोषणाओं का क्या औचित्य है?

जाम से निजात

***41 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि जगनपुरा, पटना में सर्विस रोड पर मछली मंडी तथा बालू मंडी चलती है;

(ख) क्या यह सही है कि मंडी के कारण सर्विस रोड बंद रहता है, जिससे मेन रोड में जाम लगता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोनों मंडियों को अलग शिफ्ट कराकर इलाके को जाम से निजात दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

ठोस योजना

***42 श्रीमती रेखा कुमारी (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड संख्या - 32 में जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, एन. एच. - 28 से लीची गाछी पोखरिया पीर चौक भाया नीम चौक होते हुए आमगोला फ्लाईब्रिज तक जाने वाली सड़क पर लगभग 25 वर्षों से एक ही जगह सभी नालों का पानी गिरने से जल-जमाव के कारण रास्ता बंद हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि जल-जमाव के कारण रामदयालु नगर और अघोरिया बाजार के पास प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित स्थल से जल निकासी हेतु कोई ठोस योजना बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आदेश का अनुपालन

***43 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक- 8/वक्फ बो. भू.सर्वे- 03-01/2014-61 (8), दिनांक- 13 मार्च, 2014 द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा- 4, वक्फ संशोधित अधिनियम, 2013 के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वे एक वर्ष में पूरा करने का आदेश जारी किया था, परन्तु अब तक राज्य के किसी भी वक्फ की संपत्ति का सर्वे कार्य

पूरा नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न वक्फ की संपत्तियों के अतिक्रमण, अवैध बिक्री, अवैध लीज एवं अन्य प्रकार के गैरकानूनी कार्यों की खबरें लगातार आ रही हैं और वक्फ की संपत्ति खतरे में हैं;

(ग) क्या यह सही है कि वक्फ की संपत्ति की बंदरबाट में लगे दबंगों के प्रभाव के कारण ही विभाग के उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अगले चार माह के अंदर अपने आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना चाहती है?

भोजनालय का निर्माण

***44 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के भितिहरवा आश्रम एवं इसके आस-पास अवस्थित पर्यटन स्थल यथा रामपुरवा, ठोढ़ी, सहोदरा, सोफा मंदिर, लौरिया, नन्दनगढ़, सोमेश्वर महादेव, जमुनिया में बड़ी संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन पर्यटन स्थलों के केन्द्र में अवस्थित गांधी आश्रम, भितिहरवा में पर्यटन विश्राम गृह एवं भोजनालय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पर्यटकों को बहुत कठिनाई होती है;

(ग) क्या यह सही है कि गांधी आश्रम, भितिहरवा की परिसीमा से सटाकर विशाल संग्रहालय आदि का निर्माण किया गया है जिसके कारण देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के साथ गांधी आश्रम भी जुड़ गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गांधी आश्रम, भितिहरवा के परिसर के समीप उपलब्ध सरकारी भूमि पर पर्यटन विश्राम गृह सह भोजनालय का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक?

अलग से रजिस्ट्री की व्यवस्था

***45 श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत पुनपुन प्रखण्ड की कुछ पंचायतों की सम्पतचक एवं कुछ पंचायतों की फुलवारी शरीफ प्रखण्ड में जमीन की रजिस्ट्री की जा

रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पुनपुन प्रखण्ड की सभी पंचायतों की जमीन की रजिस्ट्री पूर्व में अनुमंडल मुख्यालय मसौढ़ी में होती थी;

(ग) क्या यह सही है कि एक ही गांव के किसानों की जमीन यदि अलग-अलग पंचायतों में हो तो जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अलग-अलग स्थान पर जाना पड़ेगा;

(घ) क्या यह सही है कि पुनपुन प्रखण्ड के लोगों को सम्पतचक तथा फुलवारी जाने के लिए कोई सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहन हेतु सीधा रास्ता नहीं है एवं एक ही प्रखण्ड को दो पार्ट में विभक्त कर जमीन की रजिस्ट्री कराना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा पुनपुन प्रखण्ड की जमीन की रजिस्ट्री पूर्व की तरह मसौढ़ी अनुमंडल में ही की जा सकती है अथवा पुनपुन प्रखण्ड में अलग से रजिस्ट्री करने की व्यवस्था की जा सकती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भूमि का विवरण

***46 श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में भूमि का सर्वे कार्य कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला के टेटियाबम्बर प्रखंड अन्तर्गत चल रहे सर्वे के कार्यों में काफी लोग अपनी भूमि का विवरण जमा करने से वंचित रह गये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सर्वे कार्य में विवरणी जमा करने के उपरान्त भौतिक सत्यापन करने का भी प्रावधान है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सर्वे में सभी भूस्वामियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहेंगे, नहीं तो क्यों?

नगर पंचायत में शामिल

***47 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, सिवान ने राजस्व ग्राम- जगदीशपुर तथा धनछुआ को नगर पंचायत, महाराजगंज में शामिल करने हेतु अपने ज्ञापांक- 1129, दिनांक- 30.06.2022 से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रस्ताव अनुमोदित नहीं होने के कारण जगदीशपुर तथा धनछुआ राजस्व ग्राम के निवासियों के विकास कार्य, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि कागजात नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण आम जनता परेशान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क का निर्माण

*48 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार शहर के वार्ड नं.- 17 स्थित भगवान चौक से सीता नगर को जाने वाली मुख्य सड़क का कार्य श्री दीप नरायण गुप्ता के आटा चक्की से श्री राजू पासवान के घर तक बनना था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा यह सड़क आधा से शुरू किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि यह सड़क आधा से शुरू होने के कारण वहां के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाढ़ के दिनों में वहां के लोगों को आने-जाने में एवं बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार शहर के वार्ड नं.- 17 स्थित भगवान चौक से सीता नगर जाने वाली मुख्य सड़क का कार्य, श्री दीप नरायण गुप्ता के आटा चक्की से श्री राजू पासवान के घर तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पार्क का निर्माण

*49 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा शहर में एक भी पार्क नहीं है और शहर के सौंदर्यीकरण हेतु पार्क का निर्माण कराया जा सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी बस स्टैंड को बुधौल बस स्टैंड में शिफ्ट किये जाने से नवादा शहर स्थित सरकारी बस स्टैंड की करीब 06 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, साथ ही साथ खुरी नदी के किनारे एवं गोवर्द्धन मंदिर के सामने भी जमीन खाली पड़ी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवादा शहर

स्थित सरकारी बस स्टैंड की परती जमीन पर या खुरी नदी के किनारे एवं गोवर्द्धन मंदिर के सामने खाली जमीन पर सौंदर्यीकरण हेतु पार्क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदाधिकारियों की नियुक्ति

***50 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण एक अत्यंत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्था है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त संस्था में अधिकांश सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और प्रत्येक को मोटी रकम के रूप में वेतन मुहैया कराया जा रहा है, जबकि उनका कोई काम (रेरा) में नहीं है फलतः हजारों मामले आज की तिथि में लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नये सिरे से योग्य पदाधिकारियों की नियमित नियुक्ति करने का विचार रखती है?

पार्षद का वेतन

***51 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नगर निगम के महापौर का मानदेय 12,000 रुपया और उप महापौर का मानदेय 10,000 रुपया है तथा नगर परिषद् में मुख्य पार्षद का 10,000 एवं उप मुख्य पार्षद का 8,000 मानदेय है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर निगम के महापौर और उप महापौर तथा नगर परिषद् के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का पद एक गरिमामय पद है एवं इतना सीमित वेतन होने के कारण ये सामाजिक कार्यों में पूर्णतः सक्रिय नहीं हो पाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नगर निगम के महापौर और उप महापौर तथा नगर परिषद् के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का वेतन बढ़ाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पानी निकासी की व्यवस्था

***52 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम अंतर्गत पाटलिपुत्रा अंचल के वार्ड सं.- 22 बी. में लोटस अपार्टमेंट गली (लोटस अपार्टमेंट से एस.पी. काउन्टी व रिजेन्सी गॉर्डन अपार्टमेंट तक) में जल जमाव रहने के कारण सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण बरसात के दिनों में मुहल्लावासियों को घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, यहां तक कि बच्चों को विद्यालय जाने में घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित वार्ड सं.- 22 बी. के मुहल्ला की उक्त गली के पानी निकासी की व्यवस्था कराने एवं जर्जर सड़क का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

प्रेस भवन का सही उपयोग

***53 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सूचना एवं जनसम्पर्क** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला मुख्यालय में पत्रकारों के लिए प्रेस भवन वर्ष 2016 से ही बनकर तैयार है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त प्रेस भवन को पत्रकारों को न सौंप कर गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त प्रेस भवन को पत्रकारों को सौंपना चाहती है, नहीं तो क्यों?

सड़क एवं नाला का निर्माण

***54 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत कदमकुआं सालिमपुर अहरा के वार्ड नंबर 37 में शिव मंदिर से स्वर्गीय बृजभूषण सिन्हा जी के मकान तक पी.सी.सी. सड़क सह आर.सी.सी. नाला नहीं बना है;

(ख) क्या यह सही है कि कदमकुआं में वार्ड नंबर 37 में जानकी देवी के मकान से कुंती देवी के मकान तक पी.सी.सी. सड़क सह आर.सी.सी. नाला नहीं रहने के कारण वर्षा में

जल जमाव हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त जगह पर पी.सी.सी. सड़क सह आर.सी.सी. नाला का निर्माण कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

जातियों को जोड़ने या घटाने का काम

*55 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण हेतु सन् 1978 में व्यवस्था की गयी, उस समय 79 जातियां थीं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर पिछड़ी जातियों से अति पिछड़ा में जोड़ी जाती रही, जो बढ़कर 113 अति पिछड़ा जाति हो गई है;

(ग) क्या यह सही है कि बिना वैज्ञानिक या इथनोग्राफी रिपोर्ट के जातियों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे आरक्षण प्रभावित होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इथनोग्राफी रिपोर्ट या वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर ही अति पिछड़ा जातियों में जोड़ने या घटाने का काम करेगी, यदि हां तो कबतक ?

सैरत बंदोबस्ती अविलंब बंद

*56 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया धाम के घाटों के रख-रखाव के लिए हर वर्ष सैरत बंदोबस्त / नीलामी आयोजित की जाती है, पिछले वर्ष नीलामी की राशि 3 करोड़ रुपये थी;

(ख) क्या यह सही है कि सिमरिया धाम सैरत बंदोबस्त / नीलामी से प्राप्त राशि, सिमरिया धाम के विकास कार्यों में इस्तेमाल की जाती है, अगर नहीं तो जो श्रद्धालु या भक्त सिमरिया धाम में पूजा, स्नान और विभिन्न संस्कार करने आते हैं, उनके ऊपर ये टैक्स लगाने जैसा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार इस सैरत बंदोबस्ती / नीलामी को अविलंब बंद करने का विचार रखती है?

अतिक्रमण से मुक्ति

***57 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखंड अंतर्गत गंगापुर पंचायत के गंगापुर गांव से अतिक्रमण हटाने हेतु जिलाधिकारी, मधुबनी के द्वारा 18 महीना पूर्व आदेश निर्गत किया गया था, जिसका अनुपालन अंचलाधिकारी, लखनौर द्वारा अबतक नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित गांव को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

***58 श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिला के पंचरूखी प्रखण्ड में अवस्थित सुरेला झील लगभग 300 एकड़ में फैली हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बहुत सारे स्थानों पर विचाराधीन है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिवान जिला के पंचरूखी प्रखण्ड में अवस्थित सुरेला झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

मंदिर का सौंदर्यीकरण

***59 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा दरभंगा स्थित मां श्यामा मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य पर्यटन विभाग के द्वारा प्रारंभ किया था, लेकिन सौंदर्यीकरण का कार्य वर्ष 2014 से लंबित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मां श्यामा मंदिर, दरभंगा के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मानदेय का भुगतान

*60 **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला में जिन पंचायतों का विलय समस्तीपुर नगर निगम में हो गया है, उन पंचायतों में कार्यरत नल-जल योजनाओं में पंचायत स्तर से नियुक्त एवं काम कर रहे, अनुरक्षकों के मानेदय का भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उनका भुगतान करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

प्रतिमा स्थापित

*61 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **मंत्रिमंडल सचिवालय** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भारत के प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की पटना में किसी सार्वजनिक स्थल पर आदमकद प्रतिमा नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भारत के प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की पटना में किसी सार्वजनिक स्थल पर आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

अनाधिकृत कब्जे से मुक्त

*62 **डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती चंचला सिन्हा, पति- डॉ. सतीश कुमार, नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड के गोमहर गांव की निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि श्रीमती सिन्हा की रैयती जमीन खाता नं.- 123, प्लॉट सं.- 379, रकबा- 14 डिसमिल में कृषि कार्य होता है और वहां जाने का एकमात्र रास्ता लोकोपयोगी सड़क की जमीन है;

(ग) क्या यह सही है कि गोमहर गांव के कुछ लोगों द्वारा श्रीमती सिन्हा को तंग करने एवं कृषि कार्यों में बाधा डालने की नीयत से सार्वजनिक सड़क की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिस कारण उन्हें कृषि कार्य के लिए आने-जाने में काफी असुविधा हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सार्वजनिक लोकोपयोगी सड़क की जमीन को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

अनुशासनिक कार्रवाई

*63 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत अंचल- टेटिया बम्पर के अंचल कार्यालय के रजिस्टर टू (2) के सैकड़ों पन्ने फाड़ दिये गये हैं यहां तक कि कई अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों यथा पूर्व मंत्री, वर्तमान विधान पार्षद के नाम के भी रजिस्टर टू (2) के पन्ने फाड़ कर हटा दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि रजिस्टर में पुनः नाम दर्ज कराने के नाम पर रैयतों से अंचलाधिकारी एवं दो नाजायज कर्मचारियों द्वारा मोटी रकम की मांग की जाती है जो अन्यायपूर्ण रवैया है;

(ग) क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी अंचलाधिकारी द्वारा रजिस्टर टू को सुधारकर व्यवस्थित करने का काम अबतक नहीं किया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अंचलाधिकारी पर अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई कर उसे अविलंब निलंबित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क का निर्माण

*64 **श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार शरीफ नगर निगम अंतर्गत अम्बेडकर चौक से पश्चिम एकंगरसराय रोड में देवी सराय पंचाने नदी के किनारे से शुरू होकर नदी के तटबंध होते हुए बियावानी तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी के तटबंध पर सड़क के निर्माण होने से एन.एच.- 20 के पश्चिम नये बसावटों को एक नई सड़क मिल जाएगी तथा यदा-कदा जाम की स्थिति में इस सड़क से भी वाहनों का परिचालन हो सकेगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खण्ड 'क' में वर्णित प्रस्तावित सड़क का निर्माण कबतक कराना चाहती है?

उचित न्याय

***65 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर निगम, गया में कार्यरत कर्मचारियों के जी.पी.एफ. की कटौती वेतन से की जाती है लेकिन ये जी.पी.एफ. राशि कर्मी के खाते में न डालकर किसी अनुपयोगी योजनाओं में उपयोग होता है यानी कर्मी के फंड का डायभर्सन होता है;

(ख) क्या यह सही है कि कर्मी द्वारा इसका परिवाद जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के यहां दायर किया गया था लेकिन लेखा विभाग द्वारा इस विषयवस्तु को दबा दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि कर्मी एवं पदाधिकारी के अवकाश प्राप्त होने पर बिना सूद ब्याज के मनमाना राशि दिखाकर पेमेंट किया जाता है, यह खेल 2007 से ही चल रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर गया नगर निगम के कर्मी को उचित न्याय अविलंब दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क का निर्माण

***66 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के गया नगर निगम जनकपुर वार्ड नं.- 50 में जनकपुर मोड़ के पास स्थित हनुमान मंदिर से पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. उपेन्द्रनाथ वर्मा जी के घर होते हुए शिव मंदिर- मानपुर मेन रोड तक रोड बनाने की निविदा हो गई थी तथा नाली का कार्य भी कुछ दूरी तक किया जा चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण नहीं होने से मुहल्लावासियों का जीवन नारकीय हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में लोगों को पैदल चलकर अपने घर जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा निविदा होने के बावजूद अभी तक उक्त सड़क का निर्माण नहीं होने का क्या कारण है तथा क्या वह यथाशीघ्र सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?